

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़, जिला-अजमेर

राजेश कुमार

बनाम

राज्य सरकार

किस्म मुकदमा- धारा 188, 209रा0का0अधि0

नम्बर- 59 वर्ष:-2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.11.2024	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने अन्तर्गत धारा- 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक-20.12.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Xalun</i> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p> <p>29-11-24 वकील वादी द्वारा प्रकरण को विद्रो करने बाबत तलब करने के मौखिक निवेदन पर पत्रावली तलब की गयी वकील वादी ने प्रकरण में विद्रो करना जाहिर किया, अतः वादी का वाद जरिये विद्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Xalun</i> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	<p>राजश्व वाद पत्र को विद्रो करता है।</p> <p style="text-align: right;"><i>Xalun</i></p>

